न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 80/2019

–: प्रार्थी :–

1. हनुमानराम पुत्र मोतीराम उम्र– 51 वर्ष जाति– खाती (सुथार) निवासी– पिपलियाखुर्द, तहसील– जैतारण जिला– पाली राज0।

बनाम

–: अप्रार्थीगण :–

1. तहसीलदार, जैतारण तह.–जैतारण, जिला–पाली
2. नाथूराम पुत्र घीसूराम जाति– मुसलमान (लवार) निवासी–पिपलियाखुर्द, तहसील–जैतारण, जिला–पाली राज0।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

तारीख रजू:.12/06/2019

उपस्थित:. 1. श्री धर्मेश जांगिड़, अधिवक्ता, प्रार्थी
2. श्री महावीर सिंह उदावत अधिवक्ता, अप्रार्थी

–:: निर्णय ::– **दिनॉक:– 03/010/2019**

वकील मय प्रार्थीगण ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956, के तहत् विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का राजस्व मौजा– पिपलियाखुर्द, पटवार हल्का– पिपलियाखुर्द तहसील–जैतारण, जिला–पाली में खसरा नम्बर 58/1 कुल खसरा 01 कुल रकबा 05 बीघा आई हुई है। प्रार्थी की इस खातेदारी व हक सुदा भूमि के पास अप्रार्थी संख्या 02 की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नंबर 58 आई हुई है। जिसका रकबा 05 बीघा 03 बिस्वा है। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 02 की कृषि भूमि मौके पर अलग–अलग स्थित है। तथा राजस्व रेकर्ड में भी भूमि का अलग से बंटवाड़ा हो गया है लेकिन मौके पर सही नाप–चौप के अनुसार तरमीम नहीं किया गया है तथा ना ही कानूनन मौके पर तरमीम किया हुआ है, जिस कारण प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 02 के मध्य आये दिन जमीन की सीमा व नाप–चौप को लेकर लड़ाई–झगड़ा होता है तथा वाद–विवाद होता है, जिससे हमेशा शांति भंग होती है। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 02 की उक्त भूमि अलग–अलग खसरा नम्बरान होने के बावजूद भी मौके पर नाप–चौप नहीं किया हुआ है जिससे आये दिन नाप–चौप व सीमा को लेंकर मौके पर विवाद होता है तथा पूर्व से मौके पर स्थापित सीमा चिन्हो को भी अप्रार्थी संख्या 02 ने खुर्द–बुर्द कर दिया है तथा प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि के चारों और पत्थर खड़े कर तारबन्दी करना चाहता है लेकिन अप्रार्थी संख्या 02 प्रार्थी को ऐसा करने से हमेशा रोकता है, जिससे प्रार्थी की फसल हमेशा बर्बाद हो जाती है तथा फसल मवेशी खा जाते है। जिसपर प्रार्थी ने कई बार अप्रार्थी संख्या 02 से निवेदन किया कि वह इस सीमा विवाद एवं नाप–चौप को लेकर मौके पर किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं करे एवं आपसी सहमति से सम्पूर्ण भूमि का नाप–चौप करवाकर माफिक नाप के मौके पर आपसी सहमति से ही पत्थरगढ़ी करवा लेवे, परन्तु अप्रार्थी संख्या 02 ऐसा करने को नहीं मान रहा हैं एवं दिनांक 01.06.2019 को अप्रार्थी संख्या 02 ने मौके

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

पर नाप करने एवं माफिक नाप के पत्थरगढ़ी करने से स्पष्ट रूप से इन्कार कर दिया है। इस बाबत् प्रार्थी ने पटवारी जी, पटवार हल्का पिपलियाखुर्द तहसील-जैतारण से भी नाप-चौप करने बाबत् निवेदन किया तो उन्होंने भी ऐसा करने से इन्कार करते हुए कथन किया कि इसके बाबत श्रीमान सहायक कलेक्टर महोदय जी जैतारण से आदश करावे, तब ही मैं इस बाबत मौके पर नाप-चौप कर पत्थरगढ़ी करवा दूंगा। ऐसी परिस्थितियों में अदालत श्रीमान् के समक्ष यह कार्यवाही पेश के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रह जाने से यह प्रार्थना पत्र बहक प्रार्थी विरूद्व अप्रार्थीगण के सादर पेश है। प्रार्थना पत्र माफिक न्याय शूल्क पर पेश किया हैं एवं श्रीमान् के श्रवणाधिकार व क्षैत्राधिकार का होने से श्रीमान् के समक्ष सादर प्रस्तुत किया जा रहा हैं।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को वास्ते जबाब प्रार्थना पत्र तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से वकालतनामा पेश हुआ एवं अप्रार्थी संख्या 01 बावजूद नोटिस सूचना के अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी संख्या 02 जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं करना चाहने एवं बहस हेतु तैयार रहने से जवाब प्रार्थना पत्र बंद किया गया। एवं बहस प्रार्थना पत्र पर वकुलाय की सुनी गई। वकुलाय ने बहस में जाहिर किया कि नियमानुसार हमारी खातेदारी आराजी का सीमाज्ञान करवाने का आदेश फरमावें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। सरहद मौजा पिपलियाखुर्द के खसरा नम्बर 58/1 रकबा 05 बीघा का प्रार्थी रेकर्डेड खातेदार, काश्तकार है एवं प्रार्थी की भूमि के पास खसरा नंबर 58 रकबा 05 बीघा 03 बिस्वा स्थित है जिसका खातेदार, काश्तकार अप्रार्थी संख्या 02 है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी अपनी आराजी का सीमांकन करवाकर पत्थरगड्डी/नेखमबंदी करवाना चाहते हैं। वस्तुतः प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 02 उक्त विवादित आराजी के खातेदार काश्तकार हैं तथा प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 02 अपनी सहमति अनुसार सीमांकन करवाकर पत्थरगढ़ी करवाना चाहते हैं। लिहाजा विवादित आराजी खसरा नम्बर 58/1 रकबा 05 बीघा एवं खसरा नंबर 58 रकबा 05 बीघा 03 बिस्वा का सीमांकन कर पत्थरगढ़ी/नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार जैतारण को अधिकृत किया जाना उचित समझते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं। तहसीलदार, जैतारण को आदेशित किया जाता हैं कि राजस्व मौजा-पिपलियाखुर्द, पटवार हल्का-पिपलियाखुर्द, तहसील-जैतारण, जिला-पाली में प्रार्थी एवं अप्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 58/1 रकबा 05 बीघा एवं खसरा नंबर 58 रकबा 05 बीघा 03 बिस्वा का नियमानुसार सीमांकन कर पत्थरगढ़ी / नेखमबन्दी करावें। तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला-पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक **03/10/2019** को सरे इजलास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जिला-पाली (राज0)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2019.11.05 17:20:41 IST
Reason: SelfAttested
Location: